Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding reported non-acceptance of coins by banks in the country.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिक्कों से जुड़ा हुआ एक अति गंभीर विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों खासकर झारखंड ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बैंकों द्वारा सिक्का नहीं लेने की समस्या खड़ी की गयी है। ...(व्यवधान) भारत सरकार ने जब नोटबंदी की थी, तब 500 और एक हजार रुपये के नोट बंद हुए। ...(व्यवधान) लेकिन बैंकों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करने के लिए एक, दो, पांच और दस रुपये के सिक्के लेने बंद कर दिये हैं। ...(व्यवधान) इससे छोटे व्यापारी, अखबार बेचने वाले, सब्जी मंडी, खासकर ग्रामीण हाट में हमारी जो माताएं-बहनें सब्जी बेचती हैं, उन्हें दो रुपये, पांच रुपये और दस रुपये के सिक्के नहीं मिल रहे। ...(व्यवधान) जिन लोगों को मिर्ची, नींबू, साग आदि लेना है, उन्हें दो रुपये और पांच रुपये के सिक्के नहीं मिल रहे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब नोटबंदी हुई थी, तब इन्हीं बैंक वालों ने लाखों-लाख सिक्के बाजार में दिये। ...(व्यवधान) लेकिन अब वे सिक्के नहीं ले रहे हैं। इस कारण बाजार में भी सिक्के नहीं लिये जा रहे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विशेष़ रूप से राहत देने के लिए सरकार बैंकों पर कार्रवाई करे, क्योंकि यह भारत की मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन है। ...(व्यवधान) सरकार ग्रामीण व्यवस्था में खुदरा पैसे, यानी सिक्के को चालू रखने में सहयोग करे। ...(व्यवधान) इसके बिना अब दो रुपये, छः रुपये या आठ रुपये का सामान खरीदना कठिन हो गया है। ...(व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि सिक्कों का प्रचलन जारी रहे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री निशिकांत दुबे को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।